अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

आदेश (स्वीकार/निगरानी)
30/11/2022

गोगा देवी पत्नी छोगाराम बनाम करमा देवी वगैरह
किरम मुकदमा–225 राज0काश्त0अधिनियम
प्रकरण संख्या 374/2022 (दूदू)

	श्री मुकेश चौधरी एड	
18.11.2022	गोगा देवी बनाम करमा देवी वगैरह (374/2022) यह अपील श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के द्वारा प्रकरण संख्या 81/2022 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्त0 अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील वाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. (अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बावत) पेश किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई। जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2022 को पेश हो। अपील प्राधिकारी अजमेर	
30.11.2022	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. व आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलांट/प्रार्थीया को जानबूझकर पक्षकार कायम नहीं किया था जबकि प्रार्थीया प्रोपर पक्षकार थी, अपीलार्थीया विवादित आराजीयात में 3/32 हिस्सा की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त है अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2022 से अपीलार्थीया के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए है, मातहत अदालत में अपीलार्थीया पक्षकार नहीं थी जिससे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बावत् प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गयां। बाद अवलोकन जमाबंदी सम्वत 2076 (वर्ष 2019) में गोगा देवी पत्नि छोगा लाल हिस्सा 3/32 अंकित है, इस प्रकार प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया/ अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।** तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना चाहते है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के	

अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

गोगा देवी पत्नी छोगाराम बनाम करमा देवी वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज0काश्त0अधिनियम
प्रकरण संख्या 374/2022 (दूदू)

समक्ष प्रार्थी/अपीलांट को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था तथा सम्पूर्ण आराजीयात पर स्थगन दर्ज करवा लिया। अपीलार्थी ने दिनांक 14.11.2022 को स्थगन की नकल लेने पर जानकारी हुई। नकल प्राप्त कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है फिर भी न्यायालय अपील को मियाद बाहर मानते है तो अपील प्रस्तुत में हुयी देरी को उपरोक्त सद्भाविक कारणों से क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कारण सद्भाविक होने एवं संतोषप्रद होने के कारण न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

अन्त में स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीयागण खसरा नम्बर 1374, 1376 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 377 पर मार्क सी से डी पर पूर्व अभिधारियों के समय से ही मौके पर काबिज चले आ रहे है परन्तु दिनांक 15.07.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 लगातार 3 द्वारा अवैध तारबंदी बाउ मार्क ए से सी पर कर खसरा नम्बर 1377 की पूर्वी सीमा में खसरा नम्बर 1374 व 1376 की सीमा में घुसाते हुए पुख्ता कमरे का निर्माण किया है तथा चद्दर डाले है तथा कमरे के आग चद्दर लगाये है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। उक्त अवैध निर्माण को प्रार्थीयागण हटवाने, तुडवाने एवं पुनः कब्जा प्राप्त करने के प्रार्थीयागण अधिकारिणी है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 02.08.2022 को अन्तरिम स्थगन पारित कर दिये जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजी के जमाबंदी सम्वत 2076 (वर्ष 2019) अनुसार हिस्सा 3/32 के खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से परे जाकर एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है। जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अपील में वर्णित तथ्योंको पुनरावृति से रोकन के लिए अपील के तथ्यों एवं आधारो को स्थगन प्रार्थना पत्र का भाग समझकर पढ़ा जावें। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2022 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 02.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था जिसकी जानकारी अन्तरिम स्थगन की प्रतिलिपि लेने पर जानकारी होने के पश्चात अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त स्थगन आदेश के विरूद्ध चाराजोही करना चाहिए थी, जो उनके द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

गोगा देवी पत्नी छोगाराम बनाम करमा देवी वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज0काश्त0अधिनियम
प्रकरण संख्या 374/2022 (दूदू)

अधीनस्थ न्यायालय में नहीं कर सीधे ही यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपीलांट को अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 02.08.2022 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही चाराजोही करनी चाहिए थी। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर